भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4624

दिनांक 31 मार्च, 2022/10 चैत्र,1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

ड्रोन्स के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई)

4624. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री विद्युत बरन महतो:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री सुधीर गुप्ता:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ड्रोन निर्माता उद्योग से उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा पीएलआई योजना के अंतर्गत ड्रोन निर्माताओं/उद्योग को दिए जाने वाले संभावित प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;
(ग) इस संबंध में ड्रोन निर्माता/उद्योग द्वारा क्या प्रतिक्रिया दिखाई गई है;
(घ) क्या सरकार ने आवेदन जमा करने की कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने भारत के ड्रोन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए हैं; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) से (घ): 30 सितंबर 2021 को ड्रोन और ड्रोन के पुर्जों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना अधिसूचित की गई; सरकार ने 10 मार्च 2022 को ड्रोन निर्माताओं से पीएलआई योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

सरकार पीएलआई योजना के तहत ड्रोन निर्माताओं/उद्योगों को तीन वित्तीय वर्षों में कुल 120 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। तीन वित्तीय वर्षों में पीएलआई दर मूल्यवर्धन का 20% है। एक निर्माता के लिए पीएलआई कुल वार्षिक परिव्यय के 25% तक सीमित होगा।

मूल्य संवर्धन की गणना ड्रोन और ड्रोन घटकों से वार्षिक बिक्री राजस्व (जीएसटी का निवल) को ड्रोन घटकों की खरीद लागत से घटाकर (जीएसटी का निवल) की जाएगी। यदि कोई निर्माता किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए अर्हत मूल्य संवर्धन से संबंधित सीमा को पूरा करने में विफल रहता है, और यदि निर्माता अनुवर्ती वर्ष में इस कमी को पूरा करता है तो निर्माता को बाद के वर्ष में खोए हुए प्रोत्साहन का दावा करने की अनुमति दी जाएगी।

22 मार्च 2022 तक पीएलआई योजना के तहत ड्रोन निर्माताओं की ओर से एक आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है।

(ङ) और (च): केंद्रीय सरकार ने भारत के आगामी ड्रोन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सुधार के कई उपाय किए हैं, जो इस प्रकार हैं:

(i) 25 अगस्त 2021 को उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021 अधिसूचित किया गया।

(ii) 24 सितंबर 2021 को ड्रोन एयरस्पेस मैप प्रकाशित हुआ, जिसके द्वारा लगभग 90% भारतीय हवाई क्षेत्र को 400 फीट तक उड़ने वाले ड्रोन के लिए ग्रीन ज़ोन के रूप में खोल दिया गया।

(iii) 30 सितंबर 2021 को अधिसूचित ड्रोन के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना।

(iv) यूएएस यातायात प्रबंधन (यूटीएम) नीति रूपरेखा दिनांक 24 अक्टूबर 2021 को प्रकाशित हुई।

(v) केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 22 जनवरी 2022 को कृषि ड्रोन की खरीद के लिए मौद्रिक अनुदान कार्यक्रम की घोषणा की गई थी।

(vi) ड्रोन नियम, 2021 के तहत सभी पांच आवेदन फॉर्म 26 जनवरी 2022 को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कर दिए गए।

(vii) 26 जनवरी 2022 को ड्रोन प्रमाणन योजना अधिसूचित की गई, जिससे ड्रोन निर्माताओं के लिए टाइप प्रमाणपत्र प्राप्त करना आसान हो गया।

(viii) 9 फरवरी 2022 को ड्रोन आयात नीति अधिसूचित, जिससे विदेशी ड्रोन के आयात को प्रतिबंधित करके ड्रोन घटकों के आयात को मुक्त कर दिया गया।

(ix) 11 फरवरी, 2022 को ड्रोन (संशोधन) नियम, 2022 अधिसूचित किए गए, जिसके द्वारा ड्रोन पायलट लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त कर दी गई।